पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रीना सिंह उर्फ चुन्नी उर्फ रीना कुमारी

बनाम

राकेश सिंह

2018 का विविध अपील संख्या 236

06 अगस्त, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.प्र. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या परिवार न्यायालय ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के अंतर्गत तलाक की डिक्री देते समय अपीलकर्ता-पत्नी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना त्रुटि की है?

हेडनोट्स

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क कि उसे उचित अवसर नहीं दिया गया था, विश्वसनीय प्रतीत होता है और विचारणीय है। विपक्षी पक्षकार/अपीलकर्ता को अपने निवेदन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था, जो परिवार न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। (पैरा 14)

मामले को प्रधान न्यायाधीश को पुनः विचारार्थ भेजा गया है ताकि दोनों पक्षों को अपना-अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद मामले का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जा सके। (पैरा 16)

न्याय दृष्टान्त

कोई उल्लेख नहीं।

अधिनियमों की सूची

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 – धारा 13(1); दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 125

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक; क्रूरता; परित्याग; वैवाहिक विवाद; साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर; पुनः विचार (रि-मांड); भरण-पोषण भत्ता; गुजारा भत्ता

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 27.01.2018 को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा वैवाहिक वाद सं. 36/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री श्यामेश्वर कुमार सिंह

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राजीव प्रशांत

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का विविध अपील संख्या 236

==========

रीना सिंह उर्फ चुन्नी उर्फ रीना कुमारी, पति- राकेश सिंह, निवासी-ग्राम- वीरपुर सिंघारा, गांधी टोला, डाकघर- सिंघारा, थाना- महुआ, जिला- वैशाली, नैहारी, पिता- मुरलीधर सिंह, ग्राम- शंभोपुर, कोवारी, डाकघर- एसोई, थाना- सराय, जिला- वैशाली।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

राकेश सिंह, पिता- स्वर्गीय कमल किशोर सिंह, निवासी-ग्राम- सिंघारा, गांधी टोला, डाकघर.- सिंघारा, थाना- महुआ, जिला- वैशाली, वर्तमान निवासी- बर्टिलानम मार्केटिंग सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अरविता सर्विस, राकेश सिंह 10151 डी.एल.एफ. सुपर सिटी, सेक्टर 25, फेज-2, इमारत सं. 8, मंजिल सं. 15, इन्फिनिटी टाउन के पास, गुडगांव- 12200, हरियाणा।

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं हेतु : श्री श्यामेश्वर कुमार सिंहः

उत्तरदाता/ओं हेतु : श्री राजीव प्रशांत

==========

गणपूर्तिः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.प्र. सिंह

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी.प्र. सिंह)

दिनांक : 06-08-2025

पक्षो को सुना।

2. अपीलार्थी परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा तलाक वाद सं. 36/2012 में दिनांक 27.01.2018 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध इस अपील में आया है, जिसके तहत उत्तरदाता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 अधिनियम') की धारा 13(1) के तहत दायर याचिका में मांग की गई तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की अनुमति दी गई है।

3. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के अधीन अपनी याचिका में उत्तरदाता का अनुरोधित मामला यह है कि अपीलार्थी का विवाह 03.12.2004 को हिंदू रीति-रिवाज और संस्कार के अनुसार उत्तरदाता के साथ किया गया था । विवाह के बाद, अपीलार्थी उसके *ससुराल* आयी जहाँ उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों द्वारा उसे पूरे सम्मान और गरिमा के साथ रखा जा रहा था। अपीलार्थी तीन महीने तक अपने *ससुराल* में रही और वहाँ रहने के दौरान, अपीलार्थी के व्यवहार और अन्य गतिविधियों और हाव-भावों से पता चलता है कि वह अपने वैवाहिक घर की संस्कृति और गरिमा का पालन करने हेतु तैयार नहीं थी। मार्च 2005 में, वह अपने माता-पिता के घर लौट आई। जुलाई 2005 में, वह फिर से अपने ससुराल आई और छह महीने तक वहाँ रही और इस अवधि के दौरान, उसने सभी पारिवारिक संस्कृति और प्रतिष्ठा को तोड़ दिया और उसके वैवाहिक घर के निवासियों के प्रति अलगाव दिखाया। वह अपने पति और अन्य ससुराल वालों से अनुमति लिए बिना अपने *मैके* जाती थी। उसने हमेशा उत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति क्रूर व्यवहार किया और उसने उत्तरदाता के जीवन को नरक में धकेल दिया । कभी-कभी वह उत्तरदाता के बूढ़े पिता के साथ बुरा व्यवहार करती थी और उन्हे बिना कोई सहायता किये अपने भाग्य पर जीने के लिए मजबूर करती थी। उत्तरदाता ने अपीलार्थी को उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति इस तरह के अज्ञानी और क्रूर व्यवहार से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए, परंतु उसके परिवार के प्रति उसका व्यवहार नहीं बदला, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के क्रूर व्यवहार के कारण, उत्तरदाता के पिता गहरे अवसाद में चले गये और अंततः समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उत्तरदाता उनका इकलौता बेटा था।

4. उत्तरदाता का आगे का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने अपने बीमार ससुर को कभी कोई सेवा नहीं दी, जिनकी अंततः मृत्यु हो गई और वह उत्तरदाता की देखभाल भी नहीं कर पाई जब 2010 में उनकी दुर्घटना हुई और उनके दोनों ऊपरी अंगों और पीठ में

फ्रैक्चर हो गया। उत्तरदाता ने यह भी आरोप लगाया कि वैवाहिक संबंध परिपूर्ण नहीं हुए क्योंकि उसने हमेशा उत्तरदाता के साथ वैवाहिक संबंध होने से इनकार किया।

5. अपीलार्थी अपने पति और अन्य ससुराल वालों के प्रति अपने वैवाहिक दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह विफल रही है। अपीलार्थी के कार्यों/कुकर्मों ने उत्तरदाता के मन में बड़ी यातना और उत्पीड़न पैदा किया है। इससे उत्तरदाता के मन में भारी पीड़ा और दुःख पहूंचा है और उसने पाया कि सर्वोत्तम संभव प्रेम और स्नेह देने के बावजूद, उसके, उसके माता-पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अपीलार्थी ने उत्तरदाता का समाज और साथ को छोड़ दिया है और सितंबर, 2007 में अपने *मैके* चली गई है। अपीलार्थी और उत्तरदाता के बीच वैवाहिक संबंध पहले से ही पूरी तरह से टूट चुका है और उनके वैवाहिक जीवन के पुनर्स्थापन की कोई उम्मीद नहीं है।

6. वैवाहिक वाद दायर करने के उपरांत, विरोधी पक्ष/अपीलार्थी को समन जारी किया गया था। वह पेश हुई और उसने अपना लिखित बयान दायर किया जिसमें उसने कहा है कि अपीलार्थी के आचरण और व्यवहार के विरुद्ध उत्तरदाता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया था और यह बताया गया है कि अपीलार्थी को दहेज की मांग को पूरा न करने के लिए उत्तरदाता द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और दिसंबर, 2007 में उसे अपना ससुराल छोडने को मजबूर किया गया था जिसके बाद उसने अपने *मैके* में शरण ली। कहा जाता है कि यह तलाक का वाद, केवल उत्तरदाता के वैवाहिक जीवन से अपीलार्थी को बाहर करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत आधारों पर दायर किया गया था। इसलिए, अपीलार्थी ने प्रार्थना की कि उत्तरदाता द्वारा दायर तलाक याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. विषय और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री साक्ष्य तैयार करने के बाद, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि अपीलार्थी-पत्नी ने अपने पति के साथ मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया है। तदनुसार

अधिनियम की धारा 13(1) के तहत वाद का निर्णय किया गया है और तदनुसार पक्षो के बीच 03.12.2004 को संपन्न विवाह को क्रूरता और त्याग के आधार पर भंग कर दिया गया था। विद्वान परिवार न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित अपीलार्थी-पत्नी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

8. अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि विद्वान परिवार न्यायालय ने उत्तरदाता-पति द्वारा दायर तलाक याचिका को अनुमति देने में विधि और तथ्य दोनों में गलती की है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया हैं कि तलाक की याचिका को क्रूरता के आधार पर गलत तरीके से अनुमति दी गई है, बल्कि अपीलार्थी-पत्नी के साथ उसके वैवाहिक घर में क्रूरता का व्यवहार किया गया था और उसने केवल उसके साथ हुई क्रूरता के संबंध में और उत्तरदाता-पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में भी, वाद दर्ज करके अपने विधिक उपायों का लाभ उठाया था हालांकि अपीलार्थी के विरुद्ध उन्हें गलत तरीके से लिया गया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि परिवार न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी ने उत्तरदाता-पति को छोड़ दिया था, जबकि यह उत्तरदाता था, जिसने अपीलार्थी-पत्नी को अपना वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था।

9. अपीलार्थी की ओर से आगे यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी-पत्नी ने विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव वाद सं. 191/2012 दायर किया है, जिसमें दिनांक 27.03.2017 के आदेश के अनुसार, उसे रू 6000/- प्रति माह अंतरिम रखरखाव के रूप में मिल रहे है।

10. यह आगे तर्क दिया जाता है कि परिवार न्यायालय द्वारा पक्षो के बीच मामले को सुलझा लेने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था और कोई स्थायी गुजारा भत्ता तय नहीं किया गया था। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि परिवार न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष विधि के समक्ष मान्य नहीं हैं।

11. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और परिवार न्यायालय के संबंधित अभिलेख के साथ-साथ विवादित निर्णय का भी अध्ययन किया है।

12. वाद के अभिलेखों के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्दा तैयार करने के उपरांत, आवेदक/उत्तरदाता का साक्ष्य शुरू किया गया था और अंततः 16.06.2017 को उसका साक्ष्य बंद कर दिया गया था और अगली तिथि, अर्थात 28.07.2017 को, कोई भी विरोधी पक्ष/अपीलार्थी की ओर से पेश नहीं हुआ और अगली तिथि अर्थात 01.09.2017 को, विरोधी पक्ष/अपीलार्थी का साक्ष्य बंद कर दिया गया था। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि 21.12.2017 को, विरोधी पक्ष/अपीलार्थी के साक्ष्य को बंद करने के उक्त आदेश को वापस लेने हेतु एक याचिका दायर की गई थी जिसे 19.01.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

13. परिवार न्यायालय के अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष/अपीलार्थी को नोटिस नहीं दिया गया था और केवल एक पेपर प्रकाशन जारी किया गया था जिसके बारे में अपीलार्थी का तर्क है कि वह एक गरीब परिवार से संबंधित है। और उस समय कोरोना पेंडामिक फैला हुआ था जो वाद के उचित और पूर्ण निर्णय के लिए न्यायोव्हित और युक्तियुक्त प्रतीत होता है। दोनों पक्षों के साक्ष्य और दलीलें अभिलेख पर आनी चाहिए जो इस वाद में नहीं की गई हैं।

14. इसलिए, इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी की ओर से दिया गया तर्क कि उसे उचित अवसर नहीं दिया गया था, आश्वस्त करने वाला प्रतीत होता है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विरोधी पक्ष/अपीलार्थी को उसके अभिवचनों के समर्थन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था जो परिवार न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया था।

15. तदनुसार, तलाक वाद सं. 36/2012 में पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27.01.2018 को पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया है।

16. इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद गुण-दोष के आधार पर वाद का निर्णय करने हेतु वाद को वापस प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर को भेज दिया जाता है। पक्षो को मामले में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।

17. लंबित अंतर्वर्ति आवेदन(ओं), यदि कोई हो, तो निपटाया जाता है।

(एस.बी.प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।